संख्या: 3 / 2025 / 138/ सत्रह-म-2025 -17-1099/55/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिंनाक :17 जनवरी, 2025

विषयः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के सम्बंध में संशोधित मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-599/नि0शा0/ उ0प्र0म0पा0क0को0 2024-25 दिनांक 12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 को युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

शासनादेश प्रस्तर संख्या	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(4)(क)	मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में अवसंचरनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी	मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में अवसंचरनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर

	सम्मिलित है।	स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी सम्मिलित है।
2(21)(अ)	मत्स्य पालक/ मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है- पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 2 7 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020- 33/ 2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी. सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउददेशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु० 18.03 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा।	मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट अत्यंत अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी सम्मिलित है- 1. पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स० 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 2 7 मई, 2016 व 30/2020/ 1594/33-3-2020-33/ 2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3- 2020-182/2018 टी. सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउददेशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत ₹ 18.03 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/ मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण

चयन प्रक्रिया-

अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव आफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की कराया जायेगा।

चयन प्रक्रिया-

अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव आफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित

अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था-

कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

निर्माण लागत-

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वितीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन/ सौर ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य

जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था-

कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

निर्माण लागत-

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन / सौर ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/ सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/ मछुआरों

	पालक/मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहिक कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा।	द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहिक कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा। 2. सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापनाः(i) सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्य स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना का कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) द्वारा निर्धारित मानक एवं आगणन के अनुसार जिसकी काम्प्रीहेन्सिव वारंटी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष हो, के अनुसार स्थापित कराया जायेगा। i. (ii) आगणन की धनराशि समय-समय पर यूपी नेडा द्वारा संशोधित अनुमोदित आगणन के अनुसार परिवर्तनीय होगी। ii. (iii) इसकी स्थापना निम्न शर्तों के अनुसार की जायेगीः (क) मछुआ बाहुल्य ग्राम चयन हेतु पात्र होंगे। (ख) प्रकाश व्यवस्था हेतु पूर्व से किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट/ सोलर लाइट स्थापित न हों। (ग) ग्राम के चयन हेतु ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में ग्राम की उपयुक्तता एवं

		सोलर लाइट की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरांत ऑफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यंत अपरिहार्य स्थिति में हाई मास्ट लाइट स्थापना हेतु चयनित ग्राम का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। (iv) स्थापना के उपरांत सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा, जिसका देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। (v) कार्यदायी संस्था- कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
2(21)(स) चिकित्सा सहायता	**पात्रता:** मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद	**पात्रता:** मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि आदि द्वारा चिकित्सा सहायता से आच्छादित न हो। आवेदक सामाजिक,

	निधि आदि द्वारा चिकित्सा सहायता से आच्छादित न हो।	आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011(एस.ई.सी.सी.2011) में निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार पात्र हों एवं आयुष्मान कार्ड धारक न हो ।
	देय हित लाभ- 1-सरकारी/स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा निजी चिकित्सालयों में राज्य के अन्दर उपचार कराने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) लखनऊ की दर पर एवं राज्य के बाहर उपचार कराने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की दर से चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। 2-चिकित्सा/शल्य क्रिया में चिकित्सालय द्वारा उपचार का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है। 3-उपचार सम्बन्धी बिल वाउचर्स का सत्यापन सम्बन्धित जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित दरों पर किया जायेगा। 4-एक परिवार को अधिकतम पांच लाख की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।	देय हित लाभ- 1. सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा निजी चिकित्सालयों में राज्य के अन्दर उपचार कराने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) लखनऊ की दर पर एवं राज्य के बाहर उपचार कराने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की दर से चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। 2. चिकित्सा/शल्य क्रिया में चिकित्सालय द्वारा उपचार का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है। 3. उपचार सम्बन्धी बिल वाउचर्स का सत्यापन सम्बन्धित जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित दरों पर किया जायेगा। 4. एक परिवार को अधिकतम पांच लाख की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। 5. चिकित्सालय जिसमें लाभार्थी द्वारा उपचार कराया गया हो, वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य

		योजना के अन्तर्गत स्टेट एजेन्सी कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के द्वारा अधिकृत (Empanelled) सरकारी अथवा निजी चिकित्सालय हो।

4 - शासनादेश दिनांक 06.03.2023 द्वारा मार्ग- निर्देश में संशोधन के सबंध में उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य /शर्तो / मानकों के निर्धारण /संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सबंधित विभाग से कराया जायेगा।

5- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 27-01-2025 13:18:48

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2025/138/ सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।

10. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
11. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।